फा.सं. : 4-19/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2024/(Veh.Condemnation)/ 6966-69
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(सामान्य प्रशासन /General Administration)

धर्मशाला – 176215 **दिनांक: 28 नवम्बर, 2024**

जन-सम्पर्क अधिकारी,
धौलाधार परिसर-I, धर्मशाला, **जिला काँगड़ा (हि.प्र.)** |

विषय: विश्वविद्यालय के वाहन(नों) की नीलामी से संबंधित विज्ञापन को स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाने से संबंधित |

महोदया,

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अपने तीन वाहन(नों) की नीलामी (Auction) दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को 10.30 बजे करवाई जा रही है | इस नीलामी से संबंधित सूचना/ विज्ञापन एवं नियम व शर्तों को दो स्थानीय समाचार पत्रों (हिंदी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है |

भवदीय,

(प्रो. सुमन शर्मा)
कुलसचिव

पृष्ठांकन: समसंख्या | **दिनांक** 28 नवम्बर, 2024
प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अग्रेषित है :

1. वित्त अधिकारी, धौलाधार परिसर, धर्मशाला |
2. सिस्टम एनालिस्ट-कृपया पत्र के साथ प्रेषति किये गए सूचना, विज्ञापन एवं नियम व शर्तों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने से संबंधित |
3. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, धर्मशाला – कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ

कुलसचिव

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अधीन स्थापित)

वाहन की नीलामी के संबंध में सूचना

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निम्न वर्णित वाहन(नों) की सार्वजनिक नीलामी दिनांक **09 दिसम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 10.30 बजे धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला, जिला कांगड़ा** में जाएगी । इच्छुक बोलीदाता नीलामी की तिथि के दिन 'वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय' के नाम रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रूप में एवं रु. 25,000/- (रुपये पचीस हजार मात्र) की धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. विश्वविद्यालय में जमाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं । नीलामी की विस्तृत नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://www.cuhimachal.ac.in/** पर उपलब्ध हैं:

1.	HP 39 C 0142	मारुती 2010	SX4(VXi)
2.	HP 39 C 0257	मारुती 2011	SX4(VXi)
3.	HP 07 B 0331	मारुती 2010	SX4(VXi)

हस्त/-
कुलसचिव

Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act, 2009)

Notice for Auction of Vehicle

The Public Auction of the following Vehicle of Central University of Himachal Pradesh will be conducted on 9th December, 2024 at 10.30 A.M. at Dhauladhar Campus-1, Dharamshala. Interested Bidders may participate in the auction by depositing of Demand Draft of Rs. 1000/- as application fee and Demand Draft / Fixed Deposit of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand) as Security Money drawn in favour of 'Finance Officer, Central University of Himachal Pradesh' on the date of auction. The detailed terms and conditions of the auction is available on university website **http://www.cuhimachal.ac.in/**

1.	HP 39 C 0142	Maruti 2010	SX4(VXi)
2.	HP 39 C 0257	Maruti 2011	SX4(VXi)
3.	HP 07 B 0331	Maruti 2010	SX4(VXi)

Sd/-
REGISTRAR

नियम व शर्तें:

1. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला अपनी पुरानी/अनुपयोगी वाहन (condemned vehicle) को जहाँ है जैसे है, के आधार पर बेचने/ नीलाम करने के लिए इच्छुक बोलीदाता(ओं) को आमंत्रित कर रहा है।

2. इच्छुक बोलीदाता दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को 10.30 बजे (अपराह्न) धौलाधार परिसर-। धर्मशाला में आवेदन पत्र, दस्तावेज़ शुल्क एवं धरोहर (EMD) की धनराशि सहित रिपोर्ट करें।

3. इच्छुक बोलीदाता दस्तावेज़ शुल्क कुल मु. 1,000/- रूपये का ड्राफ्ट व धरोहर राशि (EMD) 25,000/- रुपये (पचीस हजार मात्र) ड्राफ्ट/एफ डी आर के रूप में वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पक्ष में आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा बोलीदाता उपरोक्त वर्णित नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे। असफल बोलीदाता की धरोहर राशि (EMD) बिना ब्याज बोलीदाता को वापिस कर दी जाएगी।

4. सफल बोलीदाता को दो दिन के भीतर ऑफर/offered राशि विश्वविद्यालय के खाते में या ड्राफ्ट वित्ताधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पक्ष में जमा करवानी होगी। यदि सफल बोलीदाता उद्धृत /Rate Offered / पेशकश राशि जमा करवाने में असफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर (EMD) धनराशि जब्त कर ली जाएगी और अगले बोलीदाता (दूसरे स्थान पर रही बोली) को अवसर प्रदान कर किया जायेगा।

5. सफल बोलीदाता / खरीददार को ही वाहन के हस्तांतरण संबन्धित दस्तावेज़ जैसेः पंजीकरण प्रमाण-पत्र अपने नाम करवाने एवं कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात ही वाहन को विश्वविद्यालय से ले जा सकते हैं।

6. इस संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसके निस्तारण के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का आदेश ही मान्य एवं अंतिम निर्णय होगा।

7. बोली को निरस्त करने का अंतिम अधिकार/निर्णय विश्वविद्यालय के पास रहेगा।

8. नीलामी में किसी प्रकार का क़ानूनी विवाद होने की स्थिति में उसका निस्तारण हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा [Within the Jurisdiction of the Central University of Himachal Pradesh at Dharamshala (HP)].

हस्त/-
कुलसचिव
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय